क्या आपका कोई जानकार इस बात पर नियंत्रण रख रहा है कि आपने अपने धन को कैसे खर्च करना है, आपसे परिजनों और मित्रों से मिलने की आपकी स्वतंत्रता को छीन रहा है, या आप पर चीखता-चिल्लाता है और शारीरिक रूप से आपको नुकसान पहुँचा रहा है?

NSW उम्रवृद्धि एवं विकलाँगता दुर्व्यवहार सहायता सेवा (NSW Ageing and Disability Abuse Helpline) किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए किसी वृद्ध व्यक्ति या विकलाँगता से ग्रस्त वयस्क की चिंताओं के बारे में बातचीत करने के लिए है जिसके साथ उनके घर या समुदाय में उनके किसी जानकार व्यक्ति के द्वारा दुर्व्यवहार और गलत व्यवहार किया जा रहा है।

1800 628 221 पर फोन करें (सोमवार से शुक्रवार, सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक)

आपको अपने घर और अपने समुदाय में सुरक्षित महसूस करने और आपके साथ गरिमा तथा सम्मान के साथ बर्ताव किए जाने का अधिकार है।

सहायता सेवा से संपर्क करके, आप:

1. उन सेवाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते/सकती हैं जो सहायता देने के लिए उपलब्ध है।

2. अपनी चिंताओं के बारे में किसी प्रशिक्षित व्यवसायी से बातचीत कर सकते/सकती हैं।

3. एक गुमनाम रिपोर्ट बनाने में आपका समर्थन किया जा सकता है और बिना कोई राय बनाए आपके विचार सुने जा सकते हैं।

किसी भी समय
ageingdisabilitycommission.nsw.gov.au
पर ऑनलाइन रूप से पूछताछ करें।

आपातिक स्थिति में हमेशा 000 पर फोन करें या संकटकालीन समर्थन के लिए 13 11 14 पर फोन करें
नेशनल रिले सेवा 1800 555 660 | टेक्स्ट टेलीफोन 133 677

NSW GOVERNMENT